केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 5)

[25 मार्च, 2020]

संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्वसमावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या परिषद्'' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाते हैं;

(ग) ''अध्ययन बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''कैंपस'' से संस्कृत में शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण का इंतजाम करने के लिए भारत में या भारत के बाहर किसी स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित कोई भी इकाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई विद्यमान कैंपस भी है;

(ङ) ''कुलाधिपति'' और ''कुलपति'' से विश्वविद्यालय के क्रमश: कुलाधिपति और कुलपति अभिप्रेत हैं;

(च) ''महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या उससे सहबद्ध या उसके द्वारा चलाए जाने वाला कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(छ) (i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के रूप में ज्ञात सोसाइटी के संबंध में ''तत्स्थानी विश्वविद्यालय'' और ''डीम्ड विश्वविद्यालय होने'' से वर्ष 1970 में स्थापित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली अभिप्रेत है, जिसे वर्ष 2002 में डीम्ड विश्वविद्यालय होने की प्रास्थिति प्रदत्त की गई है;

(ii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के रूप में ज्ञात सोसाइटी के संबंध में '' तत्स्थानी विश्वविद्यालय'' और ''डीम्ड विश्वविद्यालय होने'' से वर्ष 1962 में स्थापित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली अभिप्रेत है, जिसे वर्ष 1987 में डीम्ड विश्वविद्यालय होने की प्रास्थिति प्रदत्त की गई है;

(iii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के रूप में ज्ञात सोसाइटी के संबंध में ''तत्स्थानी विश्वविद्यालय'' और ''डीम्ड विश्वविद्यालय होने'' से वर्ष 1961 में स्थापित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति अभिप्रेत है, जिसे वर्ष 1987 में डीम्ड विश्वविद्यालय होने की प्रास्थिति प्रदत्त की गई है;

(ज) ''सभा'' से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(झ) ''विभाग'' से कोई अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अध्ययन केन्द्र भी है;

(ञ) ''निदेशक'' से विश्वविद्यालय के किसी कैंपस या किसी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या कार्यकारी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित और परिनियमों द्वारा विहित अध्ययन की किसी अन्य विद्या शाखा का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ट) ''दूरस्थ शिक्षा प्रणाली'' से शिक्षा की नियमित प्रणाली के सिवाय संचार के किसी भी साधन के माध्यम से, जैसे प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम, अनौपचारिक पद्धति या ऐसे एक या अधिक साधनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली अभिप्रेत है;

(ठ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी मात्रा में सहायता प्राप्त अनुदान, जिस भी नाम से हो, प्राप्त करने वाली या उससे सहबद्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त कोई भी संस्था या महाविद्यालय या विद्यालय का कोई कर्मचारी नहीं आता है;

(ड) ''कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ढ) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ण) ''छात्र निवास'' से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या प्राधिकृत किसी कैंपस या महाविद्यालय या संस्था या केन्द्र या विभाग का छात्रों, प्राधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निवास या सामूहिक जीवन, जो छात्रावास हो या अन्यथा हो, की कोई इकाई अभिप्रेत है;

(त) ''संस्था'' से कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाई जाने वाली या उससे सहबद्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कैंपस या महाविद्यालय नहीं है;

(थ) ''प्राचार्य'' से किसी महाविद्यालय या विद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाई जाने वाली किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है;

(द) ''विनियम'' से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(ध) ''संस्कृत'' से संस्कृत भाषा के अतिरिक्त आधुनिक, शास्त्रीय या पुरातन रूप में संस्कृत भाषा और उसमें उपलब्ध या उससे संबंधित ज्ञान अभिप्रेत है;

(न) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(प) ''विद्यालय'' से माध्यमिक, प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर या उसके समतुल्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या उससे सहबद्ध या उसके द्वारा चलाए जाने वाला विद्यालय अभिप्रेत है;

(फ) ''विद्यापीठ'' से विश्वविद्यालय की कोई विद्यापीठ अभिप्रेत है;

1860 का 21

(ब) ''सोसाइटी'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित कोई भी सोसाइटी अभिप्रेत है, अर्थात्: —

(i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (1970-71 का रजिस्ट्रीकरण सं॰ एस/4694);

(ii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली (1987 का रजिस्ट्रीकरण सं॰ एस/17454);

(iii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (1986 का रजिस्ट्रीकरण सं॰ 345);

(भ) ''परिनियम'' और ''अध्यादेश'' से तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(म) ''विश्वविद्यालय के शिक्षक'' से विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था में शिक्षण देने या अनुसंधान देने के लिए आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो नियुक्त किए जाएं और जो अध्यादेशों द्वारा शिक्षकों के रूप में अभिहित हैं, अभिप्रेत हैं किंतु इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी मात्रा में सहायता अनुदान, जिस भी नाम से हो, प्राप्त करने वाले या विश्वविद्यालय के साथ सहबद्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या किसी महाविद्यालय या विद्यापीठ के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद नहीं आते हैं;

(य) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

विश्वविद्यालयों की स्थापना।

3. (1) निम्नलिखित डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित तीन पृथक् केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की जाएगी—

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली की, प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट इसके कैंपसों सहित, स्थापना ''केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय'' के नाम से इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित निकाय के रूप में की जाएगी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा;

(ख) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की स्थापना ''श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय'' के नाम से इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित निकाय के रूप में की जाएगी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा;

(ग) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की स्थापना ''राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय'' के नाम से इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित निकाय के रूप में की जाएगी, जिसका मुख्यालय तिरुपति में होगा।

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हों, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव।

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति नामक सोसाइटियों का विघटन हो जाएगा;

(ख) किसी भी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) या किसी भी संविदा या अन्य लिखत में किसी सोसाइटी या डीम्ड विश्वद्यिालय के प्रतिनिर्देश को इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ग) किसी सोसाइटी या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित स्थावर और जंगम सभी संपत्तियां इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगी;

(घ) किसी सोसाइटी या डीम्ड विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(ङ) ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी सोसाइटी या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय में उसी पदावधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेंगे और सेवा में रहेंगे, जो वे धारण करते, यदि इस अधिनियम को अधिनियमित नहीं किया जाता और ऐसा तब तक करते रहेंगे, जब तक उनका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों तथा शर्तों को कार्य परिषद् या परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका नियोजन, कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनानुसार और यदि इस निमित्त उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, धारा 34 के अधीन संविदा के निष्पादन के लंबित रहते, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के संगत किसी संविदा के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा:

परंतु यह भी कि तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी संविदा या अन्य दस्तावेज में डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति किसी भी निर्देश का, चाहे शब्दों के किसी भी रूप में हो, अर्थ इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा;

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त और इस रूप में पद धारण करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति को इस अधिनियम के अधीन तत्स्थानी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा;

(छ) डीम्ड विश्वविद्यालय के सहबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाए जाने वाले सभी महाविद्यालय, संस्थाएं, विद्यापीठ और विभाग इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय से सहबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाए जाने वाले समझे जाएंगे।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य संस्कृत भाषा और शिक्षण की ऐसी अन्य शाखाओं के संवर्धन के लिए, जो वह ठीक समझे, शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार सुविधाएं उपलब्ध कराकर उसका प्रसार और ज्ञान की वृद्धि करना होगा; अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करना; शिक्षण-विद्या प्रक्रिया और अंतर विद्या शाखा अध्ययनों और अनुसंधान में नवप्रवर्तनों को

प्रोन्नत करने के लिए समुचित उपाय करना; संस्कृत और संस्कृत के पारंपरिक विषयों के क्षेत्र में समय विकास, संवर्धन, परिरक्षण और अनुसंधान के लिए जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां।

6. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) शिक्षण की ऐसी शाखाओं में, जिसके अंतर्गत संस्कृत और संस्कृत के ऐसे पारंपरिक विषय भी हैं, जो परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, शिक्षण के लिए उपबंध करना और अनुसंधान और ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ii) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना और अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना;

(iii) संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए प्राकारबाह्य अध्ययनों, प्रशिक्षण, विस्तार सेवाओं और ऐसे अन्य उपाय सुव्यवस्थित करना;

(iv) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना;

(v) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या आनलाइन पद्धति, जो वह अवधारित करें, के माध्यम से शिक्षण और विद्या की सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(vi) ज्ञान की ऐसी विभिन्न शाखाओं में, जो उचित समझी जाएं, उत्कर्ष और नवप्रवर्तनों के लिए न केवल विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराना बल्कि विश्वविद्यालय से पहले ही से सहबद्ध विद्यापीठों को भी शिक्षा उपलब्ध कराना या जारी रखना;

(vii) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिसके अंतर्गत भारतीय दर्शन, पाली-प्राकृत, संस्कृत साहित्य, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसी उच्चतर शिक्षा के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना तथा ऐसे प्राचार्य पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ix) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था को मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(x) किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों को परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;

(xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों को सृजित करना और नियमित आधार के साथ ही साथ परिनियमों के अनुसार अल्पकाल के आधार पर उन पर नियुक्तियां करना;

(xii) उच्चतर शिक्षा के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था, जिसके अंतर्गत देश से बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था भी है, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xiii) अनुसंधान और शिक्षण के लिए महाविद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों और विशेषीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना, उन्हें चलाना, सहबद्ध करना और मान्यता प्रदान करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(xiv) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xv) अनुसंधान और परामर्शी या सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, या निकायों के साथ ऐसे ठहराव करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xvi) शिक्षकों, मूल्यांककों, अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, वृत्तिकों, अधिवक्ताओं, काउंसेलों, विशेषज्ञों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(xviii) यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को परिनियमों के अनुसार स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त करना;

(xix) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक और पात्रताएं अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकेगी;

(xx) परिनियमों के अनुसार फीस और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, संकाय और छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण करना या पर्यवेक्षण कराना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(xxii) सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्त अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है;

(xxiii) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(xxiv) महिलाओं, बालकों और दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(xxv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए नकद रूप में या वस्तु रूप में उपकृति, संदान और दान ग्रहण करना और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना और उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xxvi) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के भारत में नए कैंपस और अपतट कैंपस या केन्द्र भी स्थापित करना;

(xxviii) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय छवि और अध्यापन तथा अनुसंधान के उच्च मानक बनाए रखने का प्रयास करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे अन्य उपायों के साथ, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, विशिष्टतया निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(i) छात्रों का प्रवेश और संकाय की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाएगी;

(ii) छात्रों को प्रवेश या तो विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अन्य विश्वविद्यालयों के सहयोजन से आयोजित की गई सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर दिया जाएगा या जहां छात्रों की संख्या सीमित है, वहां ऐसे पाठ्यक्रमों में अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा;

(iii) संकाय की वहनीय पेंशन सहित अंतर विश्वविद्यालय गतिशीलता और ज्येष्ठता के संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाएगा;

(iv) सेमेस्टर प्रणाली, निरंतर मूल्यांकन, विकल्प आधारित प्रत्यय प्रणाली या कोई अन्य पुरातन, पारंपरिक या आधुनिक ऐसी उचित प्रणाली, जिसे ठीक और उचित समझा जाए, लागू की जाएगी और विश्वविद्यालय प्रत्यय अंतरण और सहयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ठहराव करेगी;

(v) ऐसे क्षेत्रों में और शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, पुरातन, पारंपरिक अध्यापन प्रणाली, जिसके अंतर्गत गुरुकुल और वेदशाला भी है, अपनाई जाएगी।

विश्वविद्यालय का सभी जातियों, पंथों, मूलवंशों या वर्गों के लिए खुला होना।

7. विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति का हकदार बनाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेने या स्नातक होने या उसके किसी अन्य विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों तथा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुबद्ध विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

कुलाध्यक्ष।

8. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठों और उसके द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा और कुलाध्यक्ष, उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर, रिपोर्ट में निपटाए जाने वाले किन्हीं मामलों पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई का पालन करेगा और ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी केन्द्र, विभाग, विद्यापीठ, महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, केन्द्र, विभाग या संस्था या सहबद्ध अथवा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय या विद्यापीठ के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण करवाने या जांच किए जाने के अपने आशय की सूचना देगा और विश्वविद्यालय को कुलाध्यक्ष को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकेगा, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) कुलाध्यक्ष, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए गए किसी महाविद्यालय या विद्यापीठ या संस्था की बाबत निरीक्षण या जांच की जाती है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम और उस पर की जाने वाली कार्रवाई की बाबत ऐसे विचारों और सलाह सहित, जो कुलाध्यक्ष प्रस्थापित करे, कुलपति को लिख सकेगा और कुलाध्यक्ष द्वारा संबोधन किए जाने की प्राप्ति पर कुलपति, कुलाध्यक्ष के विचारों और उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर ऐसी सलाह, जो कुलाध्यक्ष प्रस्थापित करे, कार्य परिषद् को संसूचित करेगा।

(8) कार्य परिषद्, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों पर करने के लिए वह प्रस्थापना करता है या उसके द्वारा की गई है, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगी।

(9) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करती है, वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह उचित समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

(10) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई को निष्प्रभाव कर सकेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों से संगत नहीं हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश करने से पहले कुलाध्यक्ष, कुलसचिव को यह कारण बताने के लिए कहेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(11) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(4) कुलसचिव;

(5) वित्त अधिकारी;

(6) परीक्षा नियंत्रक;

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

10. (1) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष के द्वारा, ऐसी रीति से जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है तो डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों में पीठासीन होगा।

(3) कुलाधिपति, उन मामलों में अपील प्राधिकारी होगा, जहां अनुशासनिक प्राधिकारी कार्य परिषद् है।

कुलपति।

11. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगले अधिवेशन में उस प्राधिकारी को देगा:

परंतु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय में सेवारत ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

12. विद्यापीठ के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव।

13. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परिसर का निदेशक।

14. कैंपस के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त अधिकारी।

15. वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परीक्षा नियंत्रक।

16. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

17. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य अधिकारी।

18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(i) सभा;

(ii) कार्य परिषद्;

(iii) विद्या परिषद्;

(iv) अध्ययन बोर्ड;

(v) वित्त समिति;

(vi) योजना और मानीटरी बोर्ड; और

(vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

सभा।

20. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए:

परंतु इतनी संख्या में सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद्।

21. (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्या परिषद्।

22. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के साथ समन्वय और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अध्ययन बोर्ड।

23. अध्ययन बोर्ड का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त समिति।

24. वित्त समिति का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

योजना और मानीटरी बोर्ड।

25. योजना और मानीटरी बोर्ड का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी।

26. अन्य ऐसे प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परिनियम बनाने की शक्ति।

27. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के उपबंध तथा सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग या विद्यापीठ या केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ट) कैंपसों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों, केन्द्रों या छात्र-निवासों की स्थापना या समाप्ति;

(ठ) सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किया जाना;

(ड) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं का प्रबंध;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

28. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम वे हैं जो इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी या उनका निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियमों को कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी, जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति को रोक सकेगा या उसे पुनर्विचार के लिए कार्य परिषद् को प्रतिप्रेषित कर सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक उस पर कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमति न दे दी जाए।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, बना सकेगा और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना सकेगा या उन्हें संशोधित कर सकेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

29. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी अवधि;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) डिग्रियों (जिसके अंतर्गत सम्मानिक डिग्रियां भी हैं), डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं, डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, कक्षा, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, सभा भवनों, क्रीड़ा स्थलों और अन्य सुख-सुविधाओं की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष इंतजाम, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अंतर विद्या शाखा अध्ययनों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ट) विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम भी है, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ठ) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, संरचना और उसके कृत्य;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ढ) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(ण) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जाए।

(2) प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे या उनमें वृद्धि की जा सकेगी।

विनियम।

30. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

31. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभी अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

32. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों सहित, यदि कोई हो, सभा और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) वार्षिक लेखाओं की प्रति कुलाध्यक्ष को यथा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विवरणी और सूचना।

33. विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और अन्य सूचना देगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

कर्मचारियों, इत्यादि की सेवा की शर्तें।

34. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित संविदा के अधीन की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचार का उपभोग करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा। 1996 का 26

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

35. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, वह ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 34 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार।

36. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य या प्रबंध तंत्र के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

भविष्य निधि और पेंशन निधि।

37. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों और अन्य कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो। 1925 का 19

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

38. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नामनिर्देशित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी। जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, निर्वाचित, नामनिर्देशित, नियुक्त या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित, नामनिर्देशित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

41. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

42. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, 1872 का 1
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है, तो उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, आदेश के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

44. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या

विनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

संक्रमणकालीन उपबंध।

45. (1) इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले पद धारण करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति, उप कुलपति और अन्य अधिकारी ऐसे प्रारंभ से ही अपनी शेष अवधि के लिए अपने क्रमिक पद उसी समयावधि के लिए उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करते रहेंगे, जो वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व धारण किए हुए थे;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व प्रत्येक डीम्ड विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, योजना और मानीटरी बोर्ड और संकाय के इस रूप में नियुक्त किए गए सदस्य ऐसे प्रारंभ से ही अपनी शेष पदावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन उसी हैसियत में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करते रहेंगे;

(ग) प्रथम सभा में इकतीस से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु यदि खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो वह, यथास्थिति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति करके या केन्द्रीय सरकार के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता:

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के लिए नियुक्त कोई भी पदेन सदस्य, यदि ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय के सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे प्रारंभ से ही अपने क्रमिक पद उसी पदावधि के लिए तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करते रहेंगे, जो उन्होंने इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले धारण किए हुए थे।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले डीम्ड विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए गए सभी छात्र उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन तत्स्थानी विश्वविद्यालय के उसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के अधीन प्रवर्जित किए गए समझे जाएंगे, जो वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व थे।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी बात या की गई कोई भी कार्रवाई या प्रदत्त कोई भी डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधि, इस अधिनियम द्वारा सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, योजना और मानीटरी बोर्ड, संकायों और अन्य अधिकारियों के परामर्श से, किए गए किसी परिवर्तन के होते हुए भी इस प्रकार विधिमान्य रहेगी मानो की गई ऐसी बात या की गई कार्रवाई या प्रदत्त डिग्री या विद्या संबंधी उपाधि इस अधिनियम के अधीन थी।

(5) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले बनाए गए विनियम, उपविधियां या आदेश, यदि कोई हों, जहां तक वे धारा 30 में वर्णित विषयों से संबंधित हैं, तब तक लागू होते रहेंगे, जब तक इस अधिनियम के अधीन विनियम, उपविधियां या आदेश नहीं बना दिए जाते।

(6) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो अधिसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकेगी, जो डीम्ड विश्वविद्यालय को तत्स्थानी विश्वविद्यालय को निर्विघ्न अंतरण के लिए आवश्यक है।

विश्वविद्यालय की परिषदें, बोर्ड, स्थायी समितियां और प्रकोष्ठ।

46. विश्वविद्यालय अपने कृत्यों को अग्रसर करने में ऐसी परिषदें, बोर्ड, स्थायी समितियां और प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

समितियों का गठन।

47. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां ऐसी समिति में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्राधिकरण के सदस्य और ऐसा अन्य व्यक्ति होगा, जो प्राधिकरण, प्रत्येक मामले में ठीक समझे।

पहली अनुसूची

[धारा 3(1)(क) देखिए]

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	कैंपस का नाम
1.	जम्मू-कश्मीर	श्री रणबीर कैंपस
2.	उत्तर प्रदेश	(क) लखनऊ कैंपस
		(ख) गंगानाथ झा कैंपस
3.	कर्नाटक	श्री राजीव गांधी कैंपस
4.	राजस्थान	जयपुर कैंपस
5.	ओडिशा	श्री सदाशिव कैंपस
6.	केरल	गुरुवयूर कैंपस
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल कैंपस
8.	महाराष्ट्र	के॰जे॰ सोमैय्या कैंपस
9.	हिमाचल प्रदेश	वेद व्यास कैंपस
10.	त्रिपुरा	एकलव्य कैंपस
11.	उत्तराखंड	श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस

दूसरी अनुसूची

(धारा 28 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति। 1. (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भारसाधक मंत्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का पदेन कुलाधिपति होगा।

(2) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के कुलाधिपति की नियुक्ति, देश के विद्या संबंधी या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मांग सकेगा।

(3) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु कुलाधिपति अपनी पदावधि के अवसान होने पर भी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तरवर्ती अपना पदग्रहण न कर ले।

(4) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के कुलाधिपति की आयु उस वर्ष, जिसके दौरान रिक्ति उत्पन्न हुई है, की 1 जनवरी को सत्तर वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कुलपति। 2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (3) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह नए नामों का नया पैनल मंगा सकेगा।

(2) कुलपति संस्कृत और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में विख्यात विद्वान होगा और उसकी अर्हताएं वह होगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट है।

(3) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में पांच ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और दो कुलाध्यक्ष द्वारा तथा एक केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती, समिति का संयोजक होगा:

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य, उस विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(5) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा कोई कुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि उसकी आयु सत्तर वर्ष से अधिक न हो, पद पर बना रहेगा।

(6) खंड (5) में किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष, कुलपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पश्चात् किसी समय लिखित आदेश द्वारा कुलपति को अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के आधारों पर पद से हटा सकेगा:

परंतु कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलपति से भी परामर्श करेगा:

परंतु यह भी कि कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व किसी समय जांच के लंबित रहने के दौरान उक्त कुलपति को निलंबनाधीन रख सकेगा।

(7) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं:

परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्याालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या विशेषाधिकार दिए गए किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में उस व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा, जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परंतु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति ऐसी दरों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं, यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा;

(iv) कुलपति किसी कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या पदत्याग करता है तो अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा:

परंतु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्धवेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

(8) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम आचार्य, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति और योजना तथा मानीटरी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने

और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति और योजना तथा मानीटरी बोर्ड के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

4. (1) प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परंतु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हों और सह-आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी:

परंतु यह और कि संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद पर नहीं रहेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, विद्यापीठ के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

कुलसचिव।

5. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए और अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परंतु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो;

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी;

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परंतु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु यह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा और योजना तथा मानीटरी बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना तथा मानीटरी बोर्ड और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना तथा मानीटरी बोर्ड और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और योजना तथा मानीटरी बोर्ड के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपनी प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

वित्त अधिकारी ।

6. (1) वित्त अधिकारी इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परंतु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद से कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिनके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, विद्या शाखा या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

परीक्षा नियंत्रक।

7. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत हो जाएगा।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रूग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) परीक्षा नियंत्रक, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

8. (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

परिसर का निदेशक।

9. (1) परिसर का निदेशक ज्येष्ठतम आचार्य होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो अध्यादेश द्वारा विहित किया जाए, नियुक्त किया जाएगा।

(2) परिसर का निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा समनुदेशित की जाए।

सभा के अधिवेशन।

10. (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब किसी वर्ष के संबंध में सभा द्वारा कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्ववर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों के प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा या यदि कोई कुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

(5) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।

कार्य परिषद्।

11. (1) कार्य परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) कुलपति उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा विद्यापीठों के दो संकायाध्यक्ष;

(ग) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य;

(घ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा एक सह-आचार्य;

(ङ) सभा के दो सदस्य जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी नहीं होगा;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि;

(छ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन प्रख्यात शिक्षाविद्;

(ज) कुलपति की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संस्कृत और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में दो विख्यात शिक्षाविद;

(झ) विश्वविद्यालय की देख-रेख करने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संयुक्त सचिव;

(ञ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव कार्य परिषद् का सचिव होगा।

(2) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति, कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी और उसका अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम तीन बार होगा।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

12. (1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों का, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उसकी परिलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों, तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना:

परंतु अध्यापकों ओर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हता के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, जितने आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iii) विभिन्न विद्यापीठों, विभागों और केंद्रों में अध्यापन कर्मचारिवृंद की संयुक्त नियुक्तियां करके अंतरापृष्ठीय अनुसंधान का संवर्धन करना;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें परिनिश्चित करना और अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना;

(v) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vii) विश्वविद्यालयों के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना, जितने वह ठीक समझे;

(viii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में, जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना, जिसके अन्तर्गत ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति भी है;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, परिलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, नियत करना;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग की व्यवस्था करना;

(xvi) ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो छात्राओं के निवास के लिए आवश्यक हों;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना;

(xix) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक अभिधान और उपाधियां प्रदत्त, प्रदान करने के लिए परीक्षाओं और परीक्षणों के परिणाम के आधार पर उपाधियां या डिप्लोमा प्रदान करने को अनुमोदित करना;

(xx) विश्वविद्यालय की किन्हीं संपत्तियों और आस्तियों पर निधिक या आधारित बंधपत्र, बंधक, वचनपत्र या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालयों की निधियों, धन जुटाने और किसी उधार लिए गए धन के प्रतिसंदाय तथा मोचन के आनुषंगिक सभी व्ययों को अदा करना;

(xxi) ज्ञान की वृद्धि के लिए उद्योग और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारी करना और ऐसी भागीदारी के लाभों से एक समग्र निधि स्थापित करना; और

(xxii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

विद्या परिषद्।

13. (1) विद्या परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) कुलपति उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(ग) विभागाध्यक्ष और केंद्रों के निदेशक;

(घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विभागाध्यक्ष से भिन्न दो आचार्य;

(ङ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दो शिक्षक जिसमें से कम से कम एक सह-आचार्य होगा;

(च) प्रत्येक विद्यापीठ और केंद्रों से मद (ख), मद (ग), मद (घ) और मद (ङ) में निर्दिष्ट से भिन्न एक सदस्य;

(छ) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों;

(ज) सभा के दो सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, विद्या परिषद् का सचिव होगा।

(3) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे कम से कम दो वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) विद्या परिषद् के अधिवेशनों की गणपूर्ति विद्या परिषद् की स्वीकृत संख्या का आधा होगी।

विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

14. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन का समन्वय करने, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय स्थापित करना और बढ़ावा तथा ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों के दिए जाने और छात्रवृत्तियां, फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों;

(ङ) विश्वविद्यालय की प्रमुख उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम विहित करना; और

(च) निम्नलिखित मामलों पर कार्य परिषद् को सिफारिश करना:—

(i) शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार के लिए उपाय करना;

(ii) अध्येतावृत्तियां, यात्रा छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(iii) केंद्रों या विभागों के स्थापन या उत्सादन के बारे में सिफारिशें करना।

योजना और मानीटरी बोर्ड।

15. (1) योजना और मानीटरी बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) कुलपति उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन आंतरिक सदस्य;

(iii) कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विश्वविद्यालय योजना का विशेष ज्ञान रखने वाले तीन विख्यात शिक्षाविद्;

(iv) वित्त अधिकारी;

(v) कुलसचिव, जो सदस्य-सचिव होगा।

(2) योजना और मानीटरी बोर्ड के पदेन सदस्यों के सिवाय अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) योजना और मानीटरी बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति पांच होगी।

(4) योजना और मानीटरी बोर्ड एक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन आयोजित करेगा।

योजना और मानीटरी बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

16. (1) योजना और मानीटरी बोर्ड कार्य परिषद् के पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित करेगा—

(i) विश्वविद्यालय की संपूर्ण परिप्रेक्ष्य योजना और विकास के लिए उसके उद्देश्यों के अनुरूप उत्तरदायी होगा;

(ii) विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का क्षेत्र अवधारित करेगा और अनुसंधान पर जोर वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा;

(iii) कार्य परिषद् और विद्या परिषद् को उनके विचार-विमर्श और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न संकायों और विभागों से प्राप्त विकास के प्रस्तावों की परीक्षा करेगा, उन्हें युक्तिसंगत करेगा, उनका समन्वय करेगा;

(iv) विश्वविद्यालय की अनुमोदित योजना के क्रियान्वयन को मानीटर करेगा;

(v) अध्ययन की विद्या शाखा और पाठ्यक्रमों के लिए विद्या परिषद् और कार्य परिषद् को योजना प्रस्तुत करेगा;

(vi) विद्या शाखा और संकाय को पाठ्यक्रमों की पुन:संरचना के संबंध में उपायों और अध्ययन विभागों के मध्य अंतर शिक्षाशाखा अन्योन्यक्रिया के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेगा;

(vii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा समनुदेशित या प्रत्यायोजित की जाए।

(2) शैक्षणिक योजना के संबंध में योजना और मानीटरी बोर्ड तथा विद्या परिषद् के मध्य भिन्न राय होने की दशा में वह मामला कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) योजना और मानीटरी बोर्ड उसके संपूर्ण पर्यवेक्षण में उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना सेल की स्थापना करेगा और ऐसी कई समितियों की नियुक्ति करेगा जो वह ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे:

परंतु ऐसी समिति के दो-तिहाई सदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से होंगे।

विद्यापीठें और विभाग।

17. (1) विश्वविद्यालय में उतनी विद्यापीठें होंगी, जितनी परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की संरचना, शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5)(क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे जितने अध्यादेशों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं:

परंतु कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएंगे, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) विभाग के शिक्षक;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से संलग्न मानद आचार्य, यदि कोई हों; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

अध्ययन बोर्ड।

18.(1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) विद्या परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड को ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय:

परंतु अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, अधिनियम के प्रारंभ के शीघ्र पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा।

वित्त समिति।

19. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति;

(ii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(iii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और

(iv) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

(v) वित्त अधिकारी, उसका सदस्य-सचिव होगा।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समितियां।

20. (1) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) (क) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, केंद्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे:—

सारणी

1	2
आचार्य	(i) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष। (ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह आचार्य है। (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
सह-आचार्य/सहायक आचार्य	(i) विद्यापीठों का संकायाध्यक्ष। (ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह एक आचार्य है। (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य। (iv) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे सह आचार्य या सहायक आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।

कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य।
	(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो।
	(ii) परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।

(ख) कर्मचारियों, परामर्शियों, रिटेनरों और अन्य गैर-शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए कुलपति को सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति होगी और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

सारणी

1	2
समूह क, ख और ग के गैर-अध्यापन कर्मचारिवृंद	तीन से पांच सदस्यों की एक समिति जिसमें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के एक से तीन ज्येष्ठ अधिकारी और शिक्षक सम्मिलित होंगे और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सुसंगत क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले दो बाह्य सदस्य होंगे।

टिप्पण 1—जहां नियुक्ति अंतर अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो, वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2—कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा, जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम आचार्य चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक—

(क) जहां केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग न लें; और

(ख) जहां केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग न लें।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(6) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति में की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय

चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें परिसर का निदेशक या संबद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा;

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह तब तक ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति का विशेष ढंग।

21. (1) परिनियम 20 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, आचार्य या सह-आचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी:

परंतु कार्य परिषद् ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसंख्य पदों का सृजन भी कर सकेगी:

परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगी।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति।

22. कार्य परिषद् परिनियम 20 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

समितियां।

23. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, उतनी समितियां स्थापित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित की जाए, किंतु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

शिक्षकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि।

24. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता ।

25. (1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और परिलब्धियां वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

ज्येष्ठता सूची।

26. (1) जब कभी, इन परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक संपूर्ण और अद्यतन जयेष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना।

27. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरन्त रिपोर्ट देगा, जिनमें वह आदेश किया गया था:

परंतु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा, जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) शिक्षक, शैक्षिक कर्मचारिवृंद के सदस्य और किसी अन्य नियमित नियुक्त कर्मचारी को हटाने के लिए कार्य परिषद् के उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत अपेक्षित होगा और वह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को ऐसे हटाए जाने का आदेश प्रभावी होता है:

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचरिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा:

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद उपाधि।

28. (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परंतु आपातस्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकेगी।

उपाधियों, आदि का वापस लिया जाना।

29. कार्य परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा, जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाएगा और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हो, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

30. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा जिसकी अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में आचार्यों और सह-आचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा नियुक्ति की जाएगी।

(3) कुलपति, खंड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह उचित समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था, विभाग या विद्यापीठ में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रोक लिया जाए या रद्द कर दिया जाए।

(5) परिसर, संस्थाओं के निदेशकों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, परिसरों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें, जो उन महाविद्यालयों, परिसरों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (5) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे, जो वे इसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

दीक्षांत समारोह।

31. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष।

32. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र।

33. सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा।

निरर्हता।

34. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने या किसी अधिकारी के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

(i) वह विकृतचित है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें।

35. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता।

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है।

पूर्वछात्र संगम।

37. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्वछात्र संगम होगा।

(2) पूर्वछात्र संघ का सदस्य अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्वछात्र संघ का कोई भी सदस्य तब तक मत देने का या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह निर्वाचन तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से संघ का सदस्य नहीं हो और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि की डिग्री का धारक न हो:

परंतु यह कि पहले निर्वाचन की दशा में एक वर्ष की सदस्यता अवधि की शर्त लागू नहीं होगी।

विद्यार्थी परिषद्।

38. (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो विद्यार्थी परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ii) बीस विद्यार्थी, जो अध्ययन, खेलकूद, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग्यता के आधार पर नामित किए जाएंगे; और

(iii) विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित बीस छात्र:

परंतु यह कि विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए तो विद्यार्थी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मुद्दा लाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस मुद्दे पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

(2) विद्यार्थी परिषद् के ये कृत्य होंगे कि वह विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्य करने की बाबत सुझाव दे और ऐसे सुझाव मतैक्यता के आधार पर दिए जाएंगे।

(3) विद्यार्थी परिषद् शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और परिषद् की पहली बैठक शैक्षणिक-सत्र के प्रारंभ में होगी।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे।

39. (1) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित खंडों में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 29 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे, किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित, जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है, वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप, कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे।

(8) कुलाध्यक्ष, कार्य परिषद् को खंड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विनियम।

40. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:—

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करना और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना, जिनका विनियमों द्वारा विहित किया जाना इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित है; और

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

भारत में और भारत के बाहर परिसर का स्थापन।

41. (1) परिसर का स्थापन और उसका उत्सादन इन परिनियमों द्वारा शासित होगा परंतु उस पर कुलाध्यक्ष की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(2) परिसर के स्थापन और उत्सादन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, अध्यादेशों में यथाविहित होगी।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली।

42. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय अध्यादेशों में यथाविहित एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली रखेगा।

(2) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की संरचना, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो अध्यादेशों में विहित किए जाएं।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

43. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा।

कुलाध्यक्ष के साथ पत्राचार।

44. विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकारियों अथवा अधिकारियों द्वारा कुलाध्यक्ष से सभी पत्राचार केंद्रीय सरकार के माध्यम से किए जाएंगे।